FORM No III 2019

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः—न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ(चूरू)

किस्म :—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सीपीसी मुकदमा नं. 109 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
30.10.2019	प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया मुलीदेवी आदि ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया हैं कि अनुवानी प्रकरण में श्रीमान के द्वारा प्रार्थीया का विभाजन वाद दिनांक 06.07.2019 को अंतिम डिक्री फरमाया गया था। वादगत कृषि भूमि ख. न. 30 तादादी 15 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 36 तादादी 14 बिघा 5 बिस्वा रही है। अंतिम डिक्री जारी करते समय खसरा नं. 36 मिन चश्चिमी 7 बीघा 14 बिस्वा वादीगण के व खसरा नं. 36 मिन की पूर्वी तरफ की 7 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादीगण के हिस्से में आदेश फरमाये गये है जो कि कुल भूमि 15 बीघा 10 बिस्वा होती है जबकी खसरा नं. 36 की कुल भूमि 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि ही है। रेकार्ड के हिसाब से वादीगण का 1/4 हिस्सा जो कि 7 बीघा 08 बिस्वा भूमि होता है व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का 6 बीघा 17 बिस्वा होता है जबकि टंकण की त्रुटि वश उपरोक्त निर्णया व डिक्री दिनांक 06.07.2017 में लिपिकिया भूल रही है। जिस कारण आज दिनांक तक निर्णय डिक्री की पालना नही की जा सकी है। उपरोक्त त्रुटि लिपिकिय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है जिसके अनुसार निर्णय दिनांक 06.07.2017 के पेज संख्या 2 के अंतिम पैरा नं. 1 में 7.14 बीघा की जगह लाल स्याही से 7.8 बिघा व पेज संख्या 03 में 7.16 की जगह 6.17 अंकित किया जावे व उसी के अनुरूप डिक्री में लाल स्याही से संशोधन किया जावें। तहसीलदार सुजानगढ के पत्रांक भु.अ.0/2019/2730 दिनांक 04.07.2019 के अनुसार खसरा नं. 36 का कुल रकबा 14.05 बिघा ही है। अतः डिक्री में संशोधन करने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया के निवेदन पर व तहसीलदार सुजानगढ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय दिनांक 06.07.2017 के पेज संख्या 2 के अंतिम पैरा नं. 1 में 7.14 बीघा की जगह 7.8 बिघा व पेज संख्या 03 में 7.16 की जगह 6.17 पढा जावें व उसी के अनुसार डिक्री दिनांक 06.07.2017 में वादीगण का रकबा 7.8 बिघा व प्रतिवादीगण का 6.17 बिघा पढा जावें। मूल आदेश पत्रावली के साथ संलग्न किया जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ भिजवाई जावें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/10/19 उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ	